न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री भँवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

अपील संख्याः 118/2015 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2015/00048

1. मुखत्यार अहमद पुत्र निवाजु खॉ जाति मुसलमान निवासी चक 2 डी.एल.एस.एम., दामोलाई तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।
2. रज्जाक पुत्र हाजी अहमद यार जाति मुसलमान निवासी चक 2 डी.एल.एस.एम., दामोलाई तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. बघेरसिंह पुत्र काहनसिंह जाति जट सिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया हाल चक 1 डी.एल.एस.एम. दामोलाई तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, छतरगढ़।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया – अभिभाषक अपीलांट
श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 11.08.2021

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़ के निर्णय दिनांक 30.07.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– अपीलांट्स की खातेदारी कृषि भूमि वाके छतरगढ़ चक 2 डी.एल.एस.एम. में क्रमशः मुरब्बा नंबर 93/46 में 20 बीघा व मुरब्बा नंबर 93/63 व 113/7 में कुल 27 बीघा संयुक्त खातेदारी की स्थित है। उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ द्वारा दिनांक 30.07.2015 द्वारा रेस्पोडेन्ट के नाम से धारा 136 एल. आर. एक्ट के तहत दुरस्ती के आदेश दिए गए। जैर अपील उक्त आदेश को निरस्त करने बाबत इस न्यायालय में विचाराधीन है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री वीरेन्द्र सिंह भदौरिया ने अपनी बहस में कथन किया है कि रकबा वाके चक 2 डी.एल.एस.एम. में क्रमशः मुरब्बा नंबर 93/46 में 20 बीघा व मुरब्बा नंबर 93/63 व 113/7 में कुल 27 बीघा संयुक्त खातेदारी की स्थित है जिसमें अपीलांट अपने परिवार सहित मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। मौके पर पानी का कुण्ड व ढाणी बनी हुई है। अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में जाने के लिए चक 465 आर.डी. से पक्की सड़क आती है जो मुरब्बा नंबर 93/38 के किला नंबर 21 ता 25 में से स्वीकृत शुदा रास्ते से होकर निकलती है। उक्त रास्ता मुरब्बार नंबर 93/38 से शुरू होकर 93/46, 93/54, 93/62, 113/6, 113/14, 113/22 व 113/30 से होकर आगे तक जाता है जिसे अपीलांट उपयोग में लेते है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी तरीके से एकतरफ तौर पर मुरब्बा नंबर 93/38 के स्वीकृतशुदा रास्ता किला नंबर 22 ता 25 को दुरस्ती कर रेस्पोडेन्ट के नाम करने का आदेश विधिविरूद्ध तरीके से दिया है जबकि जैर अपील आदेश की दिनांक के अगले दिन ही रेस्पोडेन्ट ने उक्त भूमि का बेयनामा कर दिया था। ऐसा आदेश नल एण्ड वॉइड होने के कारण निरस्त करने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने गैरमुमकिन रास्ते की भूमि को गैर कानूनी तरीके से रेस्पोडेन्ट के नाम से धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत दुरस्ती करने के आदेश दिए जिसका अधिनस्थ न्यायालय को अधिकारी नहीं था एवं मुरब्बा नंबर 93/38 से जहां से रास्ता शुरू होता है केवल उसी मुरब्बे के रास्ते की भूमि को बन्द किया है बाकि आगे के मुरब्बो में रास्ता चालू रखा है जबकि उक्त समस्त भूमि रिकार्डेड कटानी रास्ते की स्वीकृतशुदा भूमि है, जिसे अपीलांट व चक वासी उपयोग में लेते है। धारा 136 के तहत कटानी रास्तें की दुरस्ती नहीं की जा सकती। अधिनस्थ न्यायालय ने मौके व रिकार्ड की स्थिति नहीं मंगवाई और न ही अपीलांट को पक्षकार बनाया, इसलिए जैर अपील आदेश निरस्त करने योग्य है।

3— इस न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बघेरसिंह पुत्र काहनसिंह जाति जट सिख निवासी शेरगढ तहसील रांगरिया हाल चक 1 डी.एल.एस.एम. दामोलाई तहसील छत्तरगढ

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जिला बीकानेर को दिनांक 13.04.2021 को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन जारी किया जिसकी तामिल आदिनांक अप्राप्त है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही के आदेश अमल में लाए जाते है।

4— प्रार्थी अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था। प्रार्थी ने अपील मीमो के साथ प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी के अन्तर्गत हितबद्ध पक्षकार होने के कारण अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया है। उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन एवं मनन किया, चूंकि विवादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का गैरमुमकिन रास्ता अंकित था। प्रार्थी हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार है। अतः उक्त 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाता है।

5— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। इस मामले में विस्तृत जांच की आवश्यकता प्रतीत होती है। अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत उचित निर्णय पारित करें।

6— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.08.2021 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(भँवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर